एफ. एम. देवारु गणपति भात

बनाम

प्रभाकर गणपति भात

19 दिसंबर, 2003

[न्यायाधिपति वाई. के. सभरवाल औरन्यायाधिपति डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन]

विलेख और दस्तावेज़ः

उपहार विलेख- निष्पादन- बहन द्वारा अपने भाई से खरीदी गई संपत्ति को अपने भतीजे को उपहार में देना- यह शर्त कि यदि उसके भाई से कोई अन्य लड़का पैदा होता है, तो वह संयुक्त धारक होगा- निर्माण - आयोजितः दस्तावेज़ को पूरी तरह से पढ़ने से पता चलता है कि दाता का इरादा अपने भाई के सभी पुरुष बच्चों को संपत्तियों का संयुक्त धारक बनाना था और अपने भतीजे के पक्ष में पूर्ण अधिकार नहीं बनाना था- इसके अलावा, उपहार विलेख के निष्पादन के बाद पैदा हुए बेटे का संपत्ति में हित है-इस तरह के अधिकार का निर्माण धारा 20-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1992, धारा 20 के तहत अनुमत है।

विधियों की व्याख्याः निर्माण के नियम-निष्पादक का इरादा-सभी शब्दों को उनके सामान्य प्राकृतिक अर्थों में विचार करने और दस्तावेज़ को समग्र रूप से पढ़ने के बाद सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जी की बहन ने जी से उसकी असहाय परिस्थितियों के कारण सभी संपत्तियाँ खरीद लीं। बहन नि:संतान थी और उसने उपहार विलेख के तहत संपत्ति अपने भतीजे-अपीलार्थी को इस शर्त के साथ उपहार में दी कि यदि उसके भाई से अन्य पुरुष बच्चे पैदा होते हैं तो वे अपीलार्थी के साथ संयुक्त धारक होंगे। उपहार की संपत्तियाँ पैतृक थीं। जब उपहार विलेख निष्पादित किया गया था तब अपीलार्थी नाबालिग था और कुछ साल बाद उसके भाई-प्रतिवादी का जन्म हुआ। प्रतिवादी ने संपत्तियों में आधे हिस्से का दावा करते हुए विभाजन और कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। विचारण न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाया। अपीलार्थी ने अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी। इसलिय वर्तमान अपील की गई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि दाता की मृत्यु पर उपहार विलेख के सही निर्माण पर, अपीलार्थी संपत्ति का पूर्ण मालिक बन जाता है। और प्रत्यर्थी का उस पर कोई अधिकार नहीं है और क्योंकि दाता ने लाभ के लिए पूरी संपत्ति का हित अजन्मे नर बच्चे का नहीं बनाया है। इसलिए उपहार के तहत हित सृजित करने की मांग की गई। विलेख अमान्य है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. शब्द यह 'संपत्ति आपकी होगी और इस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा' और उपहार विलेख में 'शीर्षक' को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इन शब्दों के तुरंत बाद ये शब्द आते हैं कि 'यदि आपके माता-पिता से कोई लड़का पैदा होते हैं, तो आप वर्णित अचल संपत्ति और

घर का आनंद लेंगे और उन लड़कों को संयुक्त धारक के रूप में रखेंगे'। सम्पत्ति के संबंध में कोई अपवाद नहीं है। जब दाता ने कहा कि 'इस पर किसी और का अधिकार या अधिकार नहीं होगा', तो वह केवल वही दोहरा रही थी जो पहले कहा गया था कि उसने अपीलार्थी को अचल संपत्ति और घर उपहार में देने का फैसला किया था क्योंकि उस समय अपीलार्थी दाता के भाई का एकमात्र पुरुष संतान था।

उपहार विलेख में ऐसे कोई योग्य शब्द नहीं हैं जो दाता की उस संपत्ति के स्वामित्व से अजन्मे नर बच्चों को बाहर करने की मंशा को दर्शाते हैं जिसे उसने अपने जीवनकाल के दौरान रखरखाव के लिए रखा था। समग्र रूप से पढ़े गए दस्तावेज़ की भाषा और अवधि स्पष्ट रूप से दाता के इरादे को दर्शाती है कि उपहार में दी गई सारी संपत्ति उसके भाई के परिवार में रहेगी, जो उनकी पैतृक संपत्ति होगी और अपीलार्थी और अन्य पुरुष बच्चों द्वारा, जो भी पैदा हो सकते हैं, किसी भी संपत्ति के अपवाद के बिना संयुक्त धारक के रूप में आनंद लिया जाएगा; और यह कि दाता का इरादा अपीलार्थी के पक्ष में एक पूर्ण अधिकार बनाने का नहीं था। [1270 - बी-ई]

1.2 अजन्मे बच्चे के पक्ष में ब्याज के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1892 की धारा 20 एक अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए ब्याज सृजित करने की अनुमति देता है जो अपने जन्म पर ब्याज प्राप्त करता है। ऐसा कोई प्रावधान ध्यान में नहीं लाया

गया है जो यह निर्धारित करता हो कि किसी संपत्ति में पूर्ण ब्याज नहीं दिया जा सकता है।अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में बनाया गया। तत्काल मामले में, दाता ने अपीलार्थी के पक्ष में संपत्ति उपहार में दी, उस समय जीवित है , और यह भी निर्धारित किया कि यदि अन्य पुरुष बच्चे बाद में उसके भाई से पैदा होते हैं तो वे अपीलार्थी के साथ संयुक्त धारक होंगे। ऐसी शर्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अधिनियम की धारा 20 के तहत इस तरह का अधिकार बनाने की अनुमति है। इस प्रकार प्रत्यर्थी अपने जन्म पर संपत्ति का हकदार बन गया। [1270 - डी-एफ]

राज बजरंग बहादुर सिंह बनाम ठाकुरैन बख्तराज कुएर, ए. आई. आर. (1953) एस. सी. 7, विशिष्ट।

2. निर्माण का नियम अच्छी तरह से तय किया गया है कि सभी शब्दों को उनके सामान्य प्राकृतिक अर्थों में विचार करने के बाद दस्तावेज़ के निष्पादक का पता लगाया जाना चाहिए। निष्पादक के इरादे का पता लगाने के लिए दस्तावेज़ को पूरी तरह से पढ़ना आवश्यक है। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है जिनके तहत किसी विशेष शब्द का उपयोग किया गया हो सकता है। [1269 - एफ-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 4385/2001

कर्नाटक उच्च न्यायालय के आर. एफ. ए. सं. 391/ 1991 म्ैँ दिनांक 16.2.99 के निर्णय और आदेश से

आर. एस. हेगड़े, चंद्र प्रकाश, सुश्री सावित्री पांडे और पी. पी. सिंह अपीलार्थी की ओर से।

प्रत्यर्थी के लिए एस. एन. भट और दिवाकर चतुर्वेदी।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति वाई. के. सभरवाल द्वारा दिया गया था

पक्षकार भाई-भाई हैं। अपीलार्थी / प्रतिवादी बड़ा भाई है। प्रतिवादी/वादी सबसे छोटा भाई है। मुक़दमे की संपत्तियों में आधे हिस्से का दावा करने वाले प्रत्यर्थी द्वारा दायर विभाजन और कब्जे के लिए मुक़दमा विचारण अदालत द्वारा तय किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम अपील को उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया है।

मुकदमे में दावे का आधार श्रीमती महादेवी, पक्षों के पिता गणपति की छोटी बहन, द्वारा 9 सितंबर1947 को निष्पादित उपहार विलेख था।जब उपहार विलेख निष्पादित किया गया था, तब अपीलार्थी13 वर्ष का नाबालिग था उस समय, उत्तरदाता का जन्म नहीं हुआ था। वर्ष 1936 में, गणपति ने सूट की संपत्तियों को अपनी छोटी बहन महादेवी को बेच दिया था। गणपति की कुछ असहाय स्थितियों के कारण बिक्री प्रभावित हुई थी। महादेवी नि:संतान थीं। उन्होंने वर्ष 1936 से उपहार विलेख के निष्पादन तक संपत्तियों का आनंद लिया। समान संपत्तियों को उपहार विलेख के तहत उपहार में दिया गया था। हालाँकि, इस अपील में विवाद एक उपहार में दी

गई संपत्ति तक सीमित है, जिसका नाम सर्वेक्षण सं. 306 है। अपीलार्थी शेष संपत्तियों के विभाजन के संबंध में प्रत्यर्थी के दावे पर विवाद नहीं कर रहा है।

अपीलार्थी के अनुसार, उपहार विलेख के तहत संपत्ति सर्वेक्षण सं0306 उसे दे दिया गया था।और प्रत्यर्थी को, उपहार विलेख के सही निर्माण पर, उक्त संपत्ति के विभाजन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया कि प्रत्यर्थी के पक्ष में हित का सृजन, जो उपहार विलेख के निष्पादन के समय पैदा नहीं हुआ था, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (संक्षेप में, अधिनियम ') की धारा 13 को देखते हुए अमान्य है। इन दोनों दलीलों को विचारण अदालत और उच्च न्यायालय का समर्थन नहीं मिला है।

इस अपील में विचार के लिए दो प्रश्न हैंः

1. 9 सितंबर, 1947 के उपहार विलेख का निर्माण; और

2. विचाराधीन संपत्ति में ब्याज के सृजन की वैधता अधिनियम की धारा 13 को देखते हुए प्रत्यर्थी के पक्ष में।

उपहार विलेख में, दानदाता ने मृत्यु तक अपनी आजीविका के लिए संपत्ति सर्वेक्षण संख्या 306 को बनाए रखा। तर्क यह है कि महादेवी के निधन पर उपहार विलेख के सही निर्माण पर अपीलार्थी संपत्ति सर्वेक्षण सं0306 का पूर्ण स्वामी बन गया। प्रत्यर्थी का इस पर कोई अधिकार नहीं

है। इसका उत्तर उपहार विलेख के निर्माण पर निर्भर करेगा। मूल उपहार विलेख कन्नड़ भाषा में है। जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, तो यह इस प्रकार हैः

> "हस्तांतरणीय संपत्तियों के उपहार का यह कार्य और श्रीमती द्वारा 9 सितंबर, 1947 को गाँव में सदन का निष्पादन किया जाता है। महादेवी, पत्नी सुब्राय भट, लगभग 25 वर्ष की आयु, व्यवसाय, गृहिणी, हव्यक समुदाय से संबंधित आवास केरामने, सिद्दापुर तालुक का यालुगर गाँव, देवरू गणपति भट के पक्ष में, जिनकी आयु लगभग 13 वर्ष है, आवास केरामने, सिद्दापुर तालुक का यालुगर गाँव करती है।
>
> हालांकि, मैं नीचे उल्लिखित अचल संपत्तियों और घर का मालिक हूं। नीचे उल्लिखित संपत्तियों और घर के हितों की रक्षा के लिए, मैं सभी संपत्तियों को किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपहार के रूप में देने के बारे में सोच रहा हूं। चूँकि आप मेरे भाई के पुत्र हैं और आपने भी मेरा प्यार और स्नेह प्राप्त किया है, और यह भी कि भूमि और घर पहले आपकी पैतृक संपत्ति थे, इसलिए मैंने आपको अचल संपत्ति और उसमें घर उपहार में देने का फैसला किया है। जैसा कि यहाँ वर्णित है, नीचे उल्लिखित अनुसूची में मेरी मल्की अचल संपत्ति, घर

और बेट्टा भूमि/बेना भूमि और कुमकी भूमि, आदि में स्थित है।

सिद्दापुर तालुक के केरेमाने का येलुगर गाँव सिद्दापुर उप-पंजीयक के अधिकार क्षेत्र/सीमा को उपहार में दिया गया है और आज आपको दिया गया। अब से न तो मेरा और न ही किसी का अनुसूची अचल संपत्ति और घर आदि पर किसी भी तरह से अधिकार, स्वामित्व और हित है और आपको इस संपत्ति का पूर्ण मालिक के रूप में आनंद लेना होगा। इसलिए, भविष्य में आपको राजस्व, कर, स्थानीय निधियों को वहन करें और सरकारी सीमा पत्थरों आदि की मरम्मत करें। आपको अपनी संपत्ति के रूप में आनंद लेना होगा और सफल होना होगा। चूंकि आप नाबालिग हैं, इसलिए अनुसूचित संपत्ति अचल संपत्ति और घर की खेती/प्रबंधन आपके पिता गणपति देवरू भट द्वारा संरक्षक के रूप में किया जाना है और वही आपके लिए तब तक आरक्षित रखा जाना है जब तक कि आप वयस्क नहीं हो जाते।

संपत्ति के बीच, मैंने अपनी मृत्यु तक अपनी आजीविका के लिए एस वाय संख्या 306, क्षेत्र 1-6-0, मूल्यांकन 16-0-0 की संपत्ति को बरकरार रखा है और मेरी

मृत्यु के बाद, यह संपत्ति आपकी होगी और इस पर किसी और का अधिकार या स्वामित्व नहीं होगा। यदि आपके माता-पिता से कोई पुत्र पैदा होता है, तो आप वर्णित अचल संपत्ति और घर का आनंद लेंगे और उन पुरुष बच्चों को संयुक्त धारक के रूप में रखेंगे। इसलिए, अचल संपत्ति के उपहार का यह विलेख संपत्ति, घर आदि का निष्पादन किया गया है। अचल संपत्ति का विवरण/अनुसूची सिद्दापुर तालुक का यालुगर गाँव में स्थित।"

उपहार विलेख के निष्पादन पर कोई सवाल नहीं है। यहाँ पहले बताई गई संकेतित सीमा के अलावा उपहार विलेख की वैधता पर भी कोई सवाल नहीं है।

निर्माण का नियम अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी दस्तावेज़ के निष्पादक का इरादा सभी शब्दों पर उनके सामान्य प्राकृतिक अर्थ में विचार करने के बाद सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निष्पादक के इरादे का पता लगाने के लिए दस्तावेज़ को समग्र रूप से पढ़ा जाना आवश्यक है। उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है जिनके तहत किसी विशेष शब्द का उपयोग किया गया होगा।

अब, उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए वर्तमान मामले के स्वीकृत तथ्यों पर विचार करें। दानदाता ने उसकी असहाय स्थिति के कारण उसके भाई से सभी संपत्तियां खरीद लीं। जब उपहार दिया गया, तो

पक्षों के माता-पिता जीवित थे। संपत्तियां पुश्तैनी थीं. दाता निःसंतान था। अपीलकर्ता नाबालिग था. प्रतिवादी का जन्म नहीं हुआ था. प्रतिवादी की जन्मतिथि 9 नवंबर, 1949 है।

अब हम उपहार विलेख पर लौटेंगे। यह स्पष्ट रूप से दाता के इरादे को दर्शाता है कि यदि उपहार विलेख के निष्पादन के बाद कोई पुरुष बच्चे पैदा होते हैं, तो अपीलार्थी को संयुक्त धारक के रूप में उनके साथ संपत्तियों का आनंद लेना चाहिए। संपत्ति सर्वेक्षण सं0306 के संदर्भ में, शब्द "यह संपत्ति" यह आपका होगा और किसी और का अधिकार नहीं होगा और इस पर शीर्षक को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इन शब्दों के तुरंत बाद ये शब्द आते हैं कि "यदि आपके माता-पिता से कोई पुरुष बच्चे पैदा होते हैं, तो आप वर्णित अचल संपत्ति और घर का आनंद लेंगे और उन पुरुष बच्चों को संयुक्त धारक के रूप में रखेंगे।" सम्पत्ति सर्वेक्षण सं0306 के संबंध में कोई अपवाद नहीं किया गया है, जब दाता ने कहा कि 'इस पर किसी और का अधिकार या स्वामित्व नहीं होगा', तो वह केवल वही दोहरा रही थी जो पहले कहा गया था कि उसने अपीलार्थी को अचल संपत्ति और घर उपहार में देने का फैसला किया था क्योंकि उस समय अपीलार्थी दाता के भाई का एकमात्र पुरुष संतान था। उपहार विलेख में ऐसे कोई योग्य शब्द नहीं हैं जो दाता की संपत्ति सर्वेक्षण संख्या 306 के शीर्षक से अजन्मे नर बच्चों को बाहर करने की मंशा को दर्शाते हैं।जिसे उन्होंने अपनी आजीविका के दौरान रखरखाव के लिए रखा था। समग्र रूप से पढ़ा गया दस्तावेज़ दाता

के इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उपहार में दी गई सभी संपत्तियां उसके भाई के परिवार में बनी रहेंगी, जो उनकी पैतृक संपत्तियां हैं और अपीलार्थी और अन्य पुरुष बच्चों द्वारा संयुक्त धारकों के रूप में आनंद लिया जाएगा, जो पैदा हो सकते हैं। उपहार विलेख में जिन शब्दों पर अपीलार्थी द्वारा निर्भरता रखी गई है, उन्हें अलग से नहीं देखा जा सकता है। समग्र रूप से पढ़ा गया दस्तावेज़ यह नहीं दर्शाता है कि दाता का इरादा अपीलार्थी के पक्ष में एक पूर्ण अधिकार बनाने का था। दस्तावेज़ की भाषा और सार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि महादेवी का इरादा अपने भाई के सभी पुत्रों को बिना किसी संपत्ति के अपवाद के संपत्तियों का संयुक्त धारक बनाना था नीचे की अदालतों द्वारा उपहार विलेख का ठीक से अर्थ लगाया गया है

दूसरे प्रश्न का उत्तर इसकी व्याख्या पर निर्भर करता है। अधिनियम की धारा 13 और 20, जो निम्नानुसार हैः

> "13. अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए स्थानांतरण - जहां, संपत्ति के हस्तांतरण पर, स्थानांतरण की तिथि पर अस्तित्व में नहीं रहने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए उसमें एक हित बनाया जाता है, जो उसी हस्तांतरण द्वारा बनाए गए पूर्व हित के अधीन होता है। ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए बनाया गया ब्याज प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि यह संपत्ति में हस्तांतरणकर्ता के शेष हित तक विस्तारित न हो।

20. जब अजन्मा व्यक्ति अपने लाभ के लिए हस्तांतरण पर निहित स्वार्थ अर्जित करता है।- जहां, संपत्ति के हस्तांतरण पर, उस समय जीवित नहीं रहने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए उसमें हित सृजित होता है, तो वह अपने जन्म पर अर्जित करता है, जब तक कि इसके विपरीत न हो। स्थानांतरण की शर्तों से इरादा एक निहित स्वार्थ प्रतीत होता है, हालांकि वह अपने जन्म के तुरंत बाद इसके आनंद का हकदार नहीं हो सकता है।"

अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क यह है कि चूंकि दानकर्ता ने अजन्मे पुत्र, अर्थात् प्रतिवादी के लाभ के लिए संपूर्ण संपत्ति सर्वेक्षण संख्या 306 के हित का निपटान नहीं किया, इसलिए उपहार विलेख के तहत हित सृजित करने की मांग की गई। इनवैलिड है। समर्थन में, विद्वान वकील राज बजरंग बहादुर सिंह बनाम ठकुराइन बख्तराज कुएर, एआईआर (1953) एससी 7 के फैसले के पैरा 14 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हैं, जो इस प्रकार है:

"बेशक यह अपने आप में प्रतिवादी को कोई राहत नहीं देता है; उसे यह स्थापित करना होगा, ताकि वह वादी के दावे का विरोध करने में सक्षम हो सके, कि धुज सिंह की मृत्यु के बाद वसीयत ने उसके पक्ष में एक स्वतंत्र हित पैदा किया। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, वसीयतकर्ता का

इरादा धुज सिंह के उत्तराधिकारियों के पक्ष में क्रमिक जीवन संपदा बनाने का था। यह, अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया जाता है कि कानून में इसकी अनुमति नहीं है और उन्होंने टैगोर बनाम टैगोर, 18 डब्लू आर 359 के मामले पर भरोसा किया।। यह बिल्कुल सच है कि एक अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में कोई ब्याज नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जब उपहार दिया जाता है व्यक्तियों के एक वर्ग या श्रृंखला के लिए बनाया जाता है, जिनमें से कुछ अस्तित्व में हैं और कुछ नहीं हैं, यह पूरी तरह से विफल नहीं होता है, यह उन व्यक्तियों के संबंध में वैध है, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में थे और बाकी के लिए अमान्य है।

विधवा, भुज सिंह का अगला उत्तराधिकारी, अस्तित्व में था जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई और उसके पक्ष में बनाया गया जीवन हित निश्चित रूप से प्रभावी होना चाहिए।

इस प्रकार उसने वसीयत के तहत अपने पति की मृत्यु के बाद मुकदमे की संपत्तियों में हित अर्जित किया, जो उसके अपने प्राकृतिक जीवन की अवधि के अनुरूप है और इसके परिणामस्वरूप वादी को कब्जे का कोई वर्तमान अधिकार नहीं है"

भरोसेमंद निर्णय के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एक वसीयत का निष्पादन किया गया था राजा बिशेश्वर बक्स सिंह द्वारा। वसीयत में, अन्य बातों के साथ, कहा गया है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसके छोटे बेटे और उसके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों को पीढ़ी दर पीढ़ी कोई परेशानी महसूस न हो और उनके बीच कोई झगड़ा न हो, इसलिए, इसे कुछ गाँवों के संबंध में निष्पादित किया जा रहा है ताकि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद, उसका छोटा बेटा उक्त संपत्तियों का आनंद ले सके। छोटे पुत्र और उनके उत्तराधिकारी, हस्तांतरण की शक्ति के बिना, उक्त संपतियों के संबंध में अन्य अधिकारों का प्रयोग करेंगे। जब वसीयत निष्पादित की गई थी, तो प्रतिवादी, राजा बिशेश्वर बक्स सिंह के छोटे बेटे की पत्नी होने के नाते पहले से ही वहाँ थी। वसीयत के निर्माण पर, यह माना गया था कि छोटे बेटे का अपने पिता की वसीयत की शर्तों के तहत संपत्तियों में केवल आजीवन हित था। यदि यह एक पूर्ण हित होता, तो संपत्ति वसीयतकर्ता के बड़े बेटे को वापस कर दी जाती। वसीयत का निर्माण करते हुए, यह माना गया कि वसीयतकर्ता का इरादा अपने छोटे बेटे के उत्तराधिकारियों के पक्ष में क्रमिक जीवन हित पैदा करने का था, जिसे कानून में अनुमेय नहीं माना गया था। इनके तहतपरिस्थितियों में, न्यायालय ने कहा कि एक अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में कोई हित नहीं बनाया जा सकता है। जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। वर्तमान में ऐसा मामला नहीं है जहां उपहार विलेख के तहत कोई क्रमिक हित बनाया गया हो।

अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में ब्याज के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, धारा 20 एक अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए हित सृजित करने की अनुमति देती है जो अपने जन्म पर हित प्राप्त करता है। हमारे ध्यान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया गया है जो यह निर्धारित करता हो कि किसी संपत्ति में पूर्ण हित अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में नहीं बनाया जा सकता है। धारा 13 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है। वर्तमान मामले में, दाता ने जीवित रहने पर अपीलार्थी के पक्ष में संपत्ति उपहार में दी,और यह भी निर्धारित किया कि यदि अन्य पुरुष बच्चे बाद में उसके भाई से पैदा होते हैं तो वे अपीलार्थी के साथ संयुक्त धारक होंगे। ऐसी शर्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अधिनियम की धारा 20 के तहत इस तरह का अधिकार बनाने की अनुमति है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी अपने जन्म पर संपत्ति का हकदार बन गया। इस दृष्टिकोण में, दूसरे विवाद में भी कोई सार नहीं है।

उपरोक्त कारणों से, अपील खारिज कर दी जाती है। पक्षों को अपना खर्च खुद उठाने के लिए छोड़ दिया।

एन.जे. याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।